12.10.202. वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली मे निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली मे हमरिश्ता रहे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:28:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारीः– देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

आर.सी.एम.एस
2013 / 00086

तारीख रजू
07.2.2013

मु0नं0
05 / 13

1. मुस. पॉची पुत्री सोना पत्नि केदार आयु 50 साल जाति माली नि0 करौली तह0 व जिला करौली
2. मुस. सवला पुत्री सोना पत्नि भरोसी आयु 40 साल जाति माली नि0 करौली तह0 व जिला करौली हाल आबाद गढी का गांव तहसील मंडरायल जिला करौली
3. मुस. नर्बदा पुत्री सोना पत्नि चिरंजी आयु 45 साल जाति माली नि0 करौली तह0 व जिला करौली

–सायलान

बनाम

1. मूला | पिसरान सोना जाति माली निवासीयान करौली
2. लोटन |
3. रामदयाल पुत्र नारायण
4. मोहरो पुत्री नारायण
5. द्रो पुत्री नारायण
6. हल्लो पुत्री नारायण
7. गुड्डी पुत्री नारायण
8. कमला पुत्री नारायण
9. पप्पू पुत्र भरोसी
10. गोविन्द पुत्र भरोसी
11. बन्टी पुत्र भरोसी
12. रामलखन पुत्र भरोसी
13. श्रीबाई पुत्री भरोसी
14. गीता पुत्री भरोसी
15. गुड्डी पुत्री भरोसी
16. भूतो पुत्री भरोसी
17. मंगली पुत्री भरोसी
18. विस्सवो वेवा भरोसी
19. दिनेश पुत्र जमनालाल
20. नरेश पुत्र जमनालाल
21. रेखा पुत्री जमनालाल
22. हेमा पुत्री जमनालाल
23. कृष्णा पुत्री जमनालाल
24. लक्ष्मी पुत्री जमनालाल
25. प्रेम वेवा जमनालाल
26. रूपसिंह पुत्र भरोसी
27. बच्चू पुत्र भरोसी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:28:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

28. जयसिंह पुत्र भरोसी
29. रेखा पुत्री भरोसी
30. धारा पुत्री भरोसी
31. कटोरी वेवा भरोसी
32. बत्तो पुत्री भरोसी
33. अम्मो पुत्री भरोसी
34. मोहन सिंह पुत्र बुद्धू
35. पप्पू पुत्र बुद्धू
36. सूकी वेवा बुद्धू
37. जलवाई पुत्र बुद्धू
38. बृहमवाई पुत्र बुद्धू
39. रूपा पुत्री हरी
40. हरवाई पुत्री हरी
41. रूपन्ती पुत्री हरी
42. सुनीता पुत्री हरी
43. शांति वेवा हरी
44. फून्सी पुत्र श्यामा
45. बदामी पुत्री श्यामा
46. रोशन पुत्र घीसल्ला
47. आशा पुत्री घीसल्ला
48. सुनीता पुत्री घीसल्ला
49. मुन्नी वेवा घीसल्ला
50. अमरसिंह पुत्र नानगा
51. हजारी पुत्र नानगा

सभी जाति माली निवासीयान आमन के पास करौली मासलपुर रोड तह0 व जिला करौली राज0

52. भल्ली पुत्र बुद्धू
53. शिवनारायण पुत्र बुद्धू
54. श्रीपत पुत्र बुद्धू
55. मनसिंह पुत्र बुद्धू

सभी जाति माली निवासीयान गुरदेह तहसील मण्डरायल जिला करौली हाल नि0 करौली तहसील व जिला करौली

56. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील करौली राज0

—गैरसायलान

दर0 212 आर0टी0एक्ट

:निर्णय:

दिनांकः—12.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख0नं0 1811, 1812, 1814, 2070, 2179, 2181, 2182, 1813 कुल किता 8 कुल रकवा 11 बीघा 16 विस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 तह0 करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:28:06 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

सायलान के पुश्तैनी सायलान के बाबा मंगला व पिता सोना के समय की है सोना व चाचा श्याम पिसरान मंगला के खातेदारी व कब्जे की रही है। सायलान सोना की पुत्रियां है गैरसायलान नं0 1ता25 सोना के परिवार के सदस्य है और सोना के हिस्से की जमीनो में सभी बराबर के हिस्सेदार है सोना के 6 लडके व तीन पुत्रियां है। सभी का 1/8, 1/8 हिस्सा ही सायलान ने आना सजरा वादपत्र के साथ शिड्यूल A अलग पेश किया है वादग्रस्त आराजी का सायलान व गैरसायलान के मध्य विधि अनुसार बंटवारा नही हुआ है। सोना के स्वर्गवासी हो जाने के बाद गैरसायलान नं0 1ता8 के पिता एवं मृतक जमुनालाल व कन्हैया एवं मृतक भरोसी ने अपने हक में बिना आधार अनाधिकार तौर पर सायलान से छिपाते हुये अवैध इन्द्राज खातेदारी दर्ज करा लिये है जो हक हकूक खातेदारी सायलान पर प्रभावहीन व शून्य है। सायलान आने हक में 1/6 हिस्सा के इन्द्राज भूमि में किये जाने योग्य है। सायलान अपने पिता सोना के समय से आराजीयात को संयुक्त तौर पर काश्त करती चली आ रही है। सायलान के हक हिस्से की आराजीयात को गैर सायलान नं0 52 से 55 दीगर व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने पर आमादा है गैर सायलान की कार्यवाही अनाधिकार है जिससे हक हकूक सायलान पर आघात है सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है सायलान गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने को निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजीयात से सायलान को कोई किसी प्रकार का नही है सायलान का आराजी में कोई हिस्सा नही है सायलान ने मृतक व्यक्ति के कोई मृत्यु प्रमाणपत्र पेश नही किये है। आराजीयात का पूर्व मे ही आज से 60–70 साल पूर्व खातेदारो के बीच आपसी सहमति से बंटवारा हो गया था जिसके हर पक्षकार अपने–अपने हिस्सो पर काबिज काश्त है और अपने हिस्सो को बनाने में लाखो खर्च करके जमीन को काबिल काश्त बनया है। नियमानुसार गैर सायलान के हक में खातेदारी दर्ज हुयी है। सायलान कोई घोषणा खातेदारी कराने की हकदार नही है। सायलान को कोई अधिकार उक्त भूमि में नही है। सायलान ने कोई अपना सक्सेशन प्रमाणपत्र पेश नही किया है सायलान को कोई खातेदारी हक हासिल नही है। गैरसायलान ने जो भी अपनी भूमि खातेदारी के रहन वय किया है व राईट ऑफ किया है जो मान्य है और यह इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड से हटाने योग्य नही है। सायलान को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है। सायलान गैरसायलान के विरूद्व कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अन्त में प्रार्थनपत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायलान का बहस में कथन है कि सायलान खातेदार मृतक सोना की पुत्रियां है सायलान वादग्रस्त आराजीयात की 1/6 हिस्सा की गैर सायलान के साथ संयुक्त खातेदार काश्तकार है गैरसायलान ने सोना के मरने के बाद अपने हक में वादग्रस्त आराजीयात ने अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज के आधार पर भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन, वय करने पर उतारू है। गैरसायलान के इस कृत्य से सायलान के हक हकूको पर आघात है सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे अन्त में प्रार्थनापत्र सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील गैरसायलान का बहस में कथन है कि सायलान का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है सोना के मरने के बाद गै[illegible] के हक में सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:28:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारी इन्द्राज नियमानुसार दर्ज हुये है भूमि को गैरसायलान ने लाखो रूपयें खर्च कर काबिल काश्त बनाया है सायलान ने सोना की पुत्री होने बाबत कोई वारिस प्रमाणपत्र पेश नही किया है गैरसायलान खातेदारान को भूमि के अपने हिस्से को रहन, वय करने का अधिकार है। सायलान गैरसायलान के विरूद्व कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र सायलान खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 में वादग्रस्त आराजी सोना, श्यामा पुत्रान मंगला जाति माली नि0 करौली के खातेदारी में दर्ज है। सायलान ने अपने को सोना की पुत्रीयां होना बताया है यह तथ्य दावा में साक्ष्य के वाद अंतिम निर्णय पर तय होना है सायलान व गैरसायलान के मध्य सोना के वारिसान के सम्बन्ध में सदभावी विवाद है जिससे प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति रखे जाने में सायलान के पक्ष मे है ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र सायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थनापत्र सायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जात है कि वह वादग्रस्त आराजीयात खं0नं0 1811, 1812, 1813, 1814, 2070, 2179, 2181, 2182 कुल किता 8 कुल रकवा 11 बीघा 16 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 8 तह0 करौली को रहन,वय नही करे।

निर्णय आज दि0 12.10.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.11 16:28:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner